

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक /119/उदयपुर/1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ़ ऐजुकेशन संस्थान, उदयपुर जिला : उदयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज कर नाम परिवर्तन से संशोधित कर प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर से आज दिनांक...दो.... माह अप्रैल सन् दो हजार तीन को उदयपुर में दिया।




रजिस्ट्रार संस्थाएं
उदयपुर